सं0 4172/II–2004–07(29)/03/04

प्रेषक,

बी0 पी0 पाण्डेय,
सचिव, सिंचाई,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग, दिनांक, देहरादून, 17 दिसम्वर/2004

विषय– अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड जोशीमठ की भूमि/भवनों को उच्च शिक्षा विभाग उत्तरांचल को राजकीय महाविद्यालय जोशीमठ के लिए हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश सं0 552/नौ–1–सिं0/वी.आई.पी./दिनांक 27–12–2002 के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तरांचल को राजकीय महाविद्यालय जोशीमठ के उपयोगार्थ दिये गये 7 कक्षों में घृत भूमि (526.03वर्गमीटर)को सम्मिलित करते हुए अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड जोशीमठ, सिंचाई विभाग, के स्वामित्वाधीन कुल भूमि 84 नाली 07 मुठ्ठी में से 20 नाली 13 मुठ्ठी भूमि वित्त विभाग अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 260/वि0अनु0/2002/दिनांक 15–2–2002 में निहित प्रतिबन्धों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के अधीन उच्च शिक्षा विभाग, उत्तरांचल को राजकीय महाविद्यालय जोशीमठ के उपयोगार्थ निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का मौके पर चिन्हाकन सिंचाई विभाग के द्वारा मुख्य अभियन्ता, गंगाघाटी के पत्रांक 4954/ग0ज0प0/वी–2 दिनांक 20.10.04 में प्रदत्त प्रस्तावों तथा स्थलीय परिस्थितियों के अनुसार किया जायेगा और शिक्षा विभाग को संयुक्त हस्ताक्षरों के साथ कब्जा हस्तान्तरण प्रमाण पत्र तैयार करते हुए उसे नजरी नक्शें पर भी दर्शाया जायेगा।

2– हस्तान्तरित की जाने वाली परिसम्पति उच्च शिक्षा विभाग, उत्तरांचल को महाविद्यालय जोशीमठ के उपयोगार्थ हस्तान्तरित की जा रही है। शिक्षा विभाग, उत्तरांचल द्वारा प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु सिंचाई विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

क्रमशः......2

3– यदि हस्तान्तरित की जाने वाली परिसम्पति की भविष्य में शिक्षा विभाग, उत्तरांचल को आवश्यकता नहीं होगी अथवा उसकी आवश्यकता सिंचाई विभाग को होगी तो वह सिंचाई विभाग को वापस की जायेगी।

4– शिक्षा विभाग उत्तरांचल द्वारा प्रश्नगत परिसम्पत्ति किसी अन्य विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

5– हस्तान्तरित की जा चुकी/की जाने वाली परिसम्पत्ति के अतिरिक्त शिक्षा विभाग, को अन्य परिसम्पत्तियों की भी आवश्यकता हो तो इस निमित्त उन्हें अपना सुस्पष्ट प्रस्ताव औचित्य विवरण सहित उपलब्ध कराना होगा और अतिरिक्त आवंटन अथवा परिवर्तन आदि सभी बिन्दुओं पर तत्समय निर्णय लिया जायेगा।

भवदीय,

बी0 पी0 पाण्डेय
सचिव।

सं0 4172/ ।।–2004–07(29)/03/04/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2– डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, मा0 विधायक, बद्रीनाथ, राज्य अतिथि गृह, द्रोण होटल, देहरादून।
3– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल ।
4– जिलाधिकारी, चमोली।
5– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,सचिवालय परिसर, उत्तरांचल देहरादून।
6– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
7– प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय जोशीमठ, चमोली।
8– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।